महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA**

पत्रांक No. टी०एम०-उप शीर्ष-(12-13)-1214
दिनांक Dated 26-10-2012

सेवा में,

सचिव (व्यय),
वित्त विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय:- मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सेवाएं, लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत उपशीर्ष-0027-बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दंड की राशि खोलने में सहमति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में आपके विभागीय पत्रांक-862 दिनांक 16.08.2012
द्वारा बिहार लोक सेवा का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दंड की राशि के
लिए उपशीर्ष खोलने हेतु मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत
लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय के स्थान पर किसी अन्य संगत लघुशीर्ष में खोलने का
अनुरोध किया गया । जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-881 दिनांक
24.08.2012 द्वारा संगत लघुशीर्ष खोले जाने हेतु महालेखा नियंत्रक कार्यालय,
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार से वित्त विभाग, बिहार सरकार से अपने
स्तर से पत्राचार करने का परामर्श दिया गया ।

पुनः उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-981 दिनांक 19.09.2012 द्वारा
सूचना के अधिकार, लेखांकण कार्य, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, भारत सरकार से
संगत लघुशीर्ष के निदान प्राप्ति में लगने वाले समय आदि कारणों से मुख्य
शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत उपशीर्ष खोलने का अनुरोध किया
गया है । साथ ही, इस कार्यालय से संगत लघुशीर्ष के लिए महालेखा नियंत्रक
कार्यालय, भारत सरकार से संपुष्टि प्राप्त करने का भी अनुरोध किया गया । इस
संबंध में निदेशानुसार यह कहना है कि लघुशीर्ष खोलने के संबंध में कार्रवाई सीधे
वित्त विभाग द्वारा ही किया जाना है ।

अतएव आवश्यक प्रस्ताव अपने विभागीय स्तर से महालेखा नियंत्रक
कार्यालय, भारत सरकार को यथाशीघ्र भेजा जाय, जिसकी सूचना इस कार्यालय को
दी जाय ।

अतएव, उपर्युक्त लघुशीर्ष खुलने तक महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
बिहार, पटना ने मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य
शीर्ष-60-अन्य सेवाएं, लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत उपशीर्ष-0027-बिहार
लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दंड की राशि खोलने में
सहमति प्रदान की है ।

कृपया पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना ।